

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनूपशहर रोड, छेरत, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश * ई-मेल : cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 110/ / 14- अलीगढ़:दिनांक:अक्टूबर: 24 , 2016.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण अधिनियम-1980)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

विषय:- जनपद अलीगढ़ में नानऊ से दादौं मार्ग किमी0 1 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 10.184 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ का पत्रांक 1276/14-10 दिनांक 24.10.2016

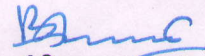
महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद अलीगढ़ में नानऊ से दादौं मार्ग किमी0 1 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 10.184 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण की वेबसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

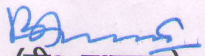
भवदीय


(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 110/ / दिनांकित।

1. प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।


(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई।	जनपद अलीगढ़ में नानऊ से दादों मार्ग किमी 0 1 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृणीकरण मे हेतु 10.184 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं अव्यस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव।
14.	क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।



(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

तिथि:-24.10.2016

स्थान:-अलीगढ़।